न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 87 / 2018 (उदयपुर डिक्री)

रामा पिता नाथू जी जाट, निवासी नाई का ढाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. हरीराम पिता धन्ना जी जाट, निवासी नाई का ढाणा, तह0 मावली, जिला उदयपुर
2. सूडा पिता गंगा जी जाट, निवासी नाई का ढाणा (मृतक) के बजाय :–

2 / 1. मोवनी पत्नी कन्ना जी पुत्री सूडा जी जाट, निवासी सोलेराखुर्द, तह. मावली
2 / 2. केसी पत्नी मांगीलाल जी पुत्री सूडा जी जाट, निवासी सोलेराखुर्द, तह. मावली
2 / 3. रामी पत्नी प्रेमा जी पुत्री सूडा जी जाट, निवासी सोलेराखुर्द, तह. मावली
2 / 4. कमला पत्नी माधुलाल जी पुत्री सूडा जी जाट, निवासी सोलेराखुर्द, तह. मावली
2 / 5. धापू पत्नी हीरालाल जी पुत्री सूडा जी जाट, निवासी लदाना, तहसील मावली
2 / 6. गीता पत्नी शंकरलाल पुत्री सूडा जाट, नि. मोरडी, वाया वडियार, तह. मावली

3. गोपा पिता नाथू जी जाट, निवासी नाई का ढाणा, तह0 मावली, जिला उदयपुर
4. भमरू उर्फ भंवरलाल पिता घीसा जी जाट, निवासी नाई का ढाणा, तह0 मावली,
5. रूपा पिता घीसा जी जाट, निवासी नाई का ढाणा, तह0 मावली, जिला उदयपुर
6. भूरा मुतबन्ना हीरा जी जाट, निवासी नाई का ढाणा, तह0 मावली, जिला उदयपुर
7. मांगीलाल पिता जयचन्द जी जाट, नि. नाई का ढाणा (मृतक) के बजाय :–

7 / 1. केसरबाई पत्नी मांगीलाल जाट, नि. नाई का ढाणा, तह. मावली, जिला उदयपुर
7 / 2. देवीलाल पिता मांगीलाल जाट, नि. नाई का ढाणा, तह. मावली, जिला उदयपुर
7 / 3. रमेश पिता मांगीलाल जाट, निवासी नाई का ढाणा, तह. मावली, जिला उदयपुर
7 / 4. कमला पत्नी नरबू जी पुत्री मांगीलाल जाट, निवासी गारियावास, तहसील मावली
7 / 5. संतोषी पत्नी रामचन्द पुत्री मांगीलाल जाट, निवासी फतेहपुरा, तहसील मावली
7 / 6. चांदी पत्नी शंकरलाल पुत्री मांगीलाल जाट, नि. पुरियाखेड़ी, तह. वल्लभनगर
7 / 7. मीना पत्नी विनोद पुत्री मांगीलाल जाट, नि. देवलाई, तह. मावली, जिला उदयपुर

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली, प्रकरण संख्या 681 / 2015 दिनांक 14.11.2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री विजय कुमार ओस्तवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ओमप्रकाश डागलिया अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे. सं. 8

———:::———

निर्णय   दिनांक 29–11–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस [illegible] है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व उसकी मा[illegible] गमे[illegible] द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:41 IST
Reason: SelfAttested

53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नाई की ढाणा में वाद की कलम संख्या 1 अंकित आराजियात स्थित होकर उसमें अंकित हिस्से अनुसार वादीगण का हक हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज है। आराजी नंबर 150, 151 व 142 हम वादीगण के कब्जे में है, किन्तु भूमि सामलाती दर्ज होने से लोन वगैरा में काफी कठिनाई होती है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात का वादीगण के हिस्से अनुसार विभाजन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26–03–2002 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 01–06–2004 को अंतिम डिक्री जारी की।

दिनांक 04–09–2015 को प्रतिवादी संख्या 2 रामा पिता नाथू ने आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आप न्यायालय द्वारा दिनांक 26–03–2002 एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री एवं दिनांक 01–06–2004 को अंतिम डिक्री जारी की गयी है। उक्त प्रकरण में मुझ प्रतिवादी संख्या 2 को सम्मन प्राप्त नहीं हुए हैं, फिर भी मेरे विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी/प्रार्थी के विरूद्ध पारित एकतरफा डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण को दोतरफा किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 14–11–2017 से प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. एवं धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 रामा द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–09–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट जब अपने वकील से दिनांक 09–07–2018 को मिला तो उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अपीलान्ट के पूर्व अधिवक्ता ने उन्हें हर पेशी पर उपस्थित नहीं रहने हेतु कह रखा था, जिससे वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। जानकारी होते ही दिनांक 10–07–2018 को नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक ने बताया कि दिनांक 14–11–2017 को ही अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी थी, किन्तु मियाद में प्रकरण लाने के लिए अपने अधिवक्ता पर सारा दोष मढ़ रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारे की डिक्री जारी होने के बाद अपीलान्ट व उनके भाई बहनों के हिस्से में आयी आराजी नंबर 142/3 का विक्रय जगदीश पिता हजारी लाल को दिया है तथा उनके द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:41 IST
Reason: SelfAttested

कुछ भूमि क्रय भी की गयी है। इस तरह अपीलान्ट बंटवारे के 10 वर्ष बाद बंटवारे की जमीन में से कुछ हिस्सा विक्रय व कुछ हिस्सा क्रय करने के बाद अब यदि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो भूमि के क्रेता व विक्रेता के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14–11–2017 को पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 10–09–2018 को प्रस्तुत की है, जबकि अपील 60 दिवस में अर्थात दिनांक 13–01–2018 तक प्रस्तुत की जानी थी। अपील करीब 8 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए अपीलान्ट ने अपने पूर्व अधिवक्ता द्वारा उन्हें सूचित नहीं किये जाने का कथन किया है, किन्तु इस बाबत् उनके द्वारा अपने पूर्व अधिवक्ता का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इतना ही नहीं स्वयं अपीलान्ट ने अपने धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जानकारी दिनांक 09–07–2018 को एवं निर्णय की नकल दिनांक 10–07–2018 को प्राप्त होना बताया, इसके बावजूद भी उनके द्वारा अपील दिनांक 10–09–2018 को अर्थात जानकारी दिनांक से भी 2 माह बाद प्रस्तुत की है, किन्तु इस बाबत् कोई कथन नहीं किया है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात हाल अपीलान्ट ने तामील लेने से इंकार किया है तथा चस्पा भी नहीं करने दिया, जिसकी तस्दीक दो गवाहों से होती है। इसके अलावा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के बाद पालना रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा विभाजन पश्चात उसके द्वारा कुछ भूमि का विक्रय भी जगदीश को किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आधारों पर प्रतिवादी संख्या 2 की तामिल मानते हुए तथा उक्त प्रार्थना पत्र करीब 13 वर्ष बाद प्रस्तुत करने एवं इसका कोई पर्याप्त एवं उचित कारण नहीं होने के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. एवं धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14–11–2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 29–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:41 IST
Reason: SelfAttested